२०२२

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।

पत्र संख्याः न-42/एफएस-15 दिनांकः मार्च 27,2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
लखनऊ माडल पब्लिक इण्टर कालेज
आम्रपाली योजना, हरदोई रोड
लखनऊ।

विषयः- भूखण्ड संख्या-एच-4/स्कूल-1 पर केवल भू-तल एंव प्रथम तल पर निर्मित लखनऊ माडल पब्लिक इण्टर कालेज, आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ भवन को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक-21.03.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकः-28.08.2015 के द्वारा निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के सापेक्ष एवं एनबीसी-2005 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-08 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, चौक द्वारा निरीक्षण/ परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयेः-

भवन की संरचना :-

1- कुल भूखण्ड एरिया- 4247.00 वर्ग मीटर
2- निर्मित भूतल का कवर्ड एरिया- 753.34 वर्ग मीटर
3- प्रथम तल का कवर्ड एरिया- 753.34 वर्ग मीटर
4- द्वितीय तल का कवर्ड एरिया- 753.34 वर्ग मीटर(निमार्णाधीन, निर्माणोपरान्त प्रयोग करने से पूर्व एनबीसी-2005 के टेबल-23 में उल्लिखित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन कराकर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।)
5- भवन की ऊॅचाई -10.80 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवें हेजार्ड श्रेणीः- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 में शैक्षिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढॉचागत व्यवस्थाः-

1- पहुॅच मार्ग :-भूखण्ड के सामने 09 मीटर रोड की चौडाई है।
2-प्रवेश द्वार की चौडाई- भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.50 मीटर उपलब्ध है।
3- सेटबैकः- भवन का सेटबैक निम्नवत हैः-

- अग्रभाग 06.00 मीटर रोड
- पृष्ठभाग 06.00 मीटर रेड
- पार्श्व भाग 06. मीटर रोड
- पार्श्व भाग द्वितीय- 06 मीटर रोड

उपरोक्तानुसार भवन का सेटबैक भवन निर्माण विकास उपविधि के अनुसार है,उपलब्ध सेटबैक को सदैव अवरोध मुक्त रखेगें । सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण मान्य नही होगा ।

4- निकास मार्गः- स्कूल भवन में 02 स्टेयर केस 2.00 मी चौडाई के तथा एक रैम्प 03 मीटर चौड़ाई का उपलब्ध है।

उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाः-

5- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आईएस 2190-2010 के अनुसार अधिष्ठापित किया गया है।

1- एग्जिट साइनेजः-सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, चौक की संस्तुति के आधार पर भूखण्ड संख्या-एच-4/स्कूल-1 पर **केवल भू-तल एंव प्रथम तल पर निर्मित** लखनऊ माडल पब्लिक इण्टर कालेज, आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ को उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1- भवन स्वामी/ प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स शैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये।

3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- प्रबन्धक/स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि छ्रितीय तल का प्रयोग करने से पूर्व एनबीसी-2005 के टेबल-23 में उल्लिखित अग्निशमन व्यवस्थाओं का अधिष्ठापन कराकर अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।)

5- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रृटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पाई गई त्रृटि का निवारण किया जाय।

6- प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/ फायर सर्विस ड्रिल करायी जाय तथा इमर्जेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाये।

7- वर्ष में एक बार अग्निशमन उपकरणों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण फायर फाइटिंग सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

9- विद्युत सुरक्षा का प्रमाण पत्र विद्युत विभाग से लेना अनिवार्य होगा।

10- उक्त शर्तो/ निर्देशो का उल्लंघन होने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

22-03-2017

(ए0बी0पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपिः-- अग्निशमन अधिकारी, चौक को सूचनार्थ एवॅ आवश्यक कार्यवाही हेतु।